न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार आर.ए.एस.

वाद संख्या 2/127/16

अनुवान– सुभाष बनाम अनीता

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

07.06.2018ः–आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत अलेई पर मूल वाद के साथ पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण मे दिनांक 29.07.2016 को एकतरफा वकील प्रार्थी सुनी जाकर आराजी हाल खसरा नं0 893/0.04, 893/0.01, 895/0.97 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अप्रार्थीगण को दिनांक 02.09.2016 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने बाबत जारी की गई है, तथा प्राथर्ना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब करने के आदेश जारी किये गये है। अप्रार्थीगण की और से दिनांक 12.01.2017 को वकालतनामा पेश हो चुका है। परन्तु अप्रार्थीगण की और आज दिनांक तक जवाब प्राथर्ना पत्र पेश नही किया गया है। प्रकरण मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञां का प्रचलन दिनांक 29.07.2016 से प्रभावी है। अप्रार्थीगण द्वारी बाद उपस्थिति जवाब पेश नही किये जाने के कारण प्राथर्ना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्राथर्ना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट. आराजी हाल खसरा नं0 893/0.04, 893/0.01, 895/0.97 वाके ग्राम थाना तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 29.07.2016 का प्रचलन दावे के निर्णय तक स्थाई किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति सलंग्न मूल वाद जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट अलेई तहसील राजगढ पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत अलेई

Web Copy - Not Official